न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 266 सन 2019
अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र बिसाउ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1 मदनलाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रनतपुरा तहसील नोहर ।
2 इन्द्राज पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3 साजन पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
4 चावली पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
5 देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
6 प्रमेष्वरी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
7 कलावती पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
8 रोषनी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
9 राजबाला पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
10 सुमित्रा पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
11 मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
12 आत्माराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
13 साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
15 एसबीबीजे शाखा फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16 स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा नोहर तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार हक खाता विभाजन अन्तर्गत 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

उपस्थित : श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 19/07/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के प0न0 317 / 381(55) किला न0 1 ता 3 / 0.759 , 6 / 0.2150 ,7 ता 14 / 2. 240हैक, 15 / 0.2150 ,16 / 0.2150 ,17 ता 20 / 1.0120हैक , 22 ता 24 / 0.7590 , 25 / 0.2150 , प0न0 317 / 382 (76) किला न0 2 / 0.2280 ,3 / 0.2280 ,4 / 0.2270 ,5 / 0.1900 ,6 / 0.2150 ,7 ता 9 / 0.7590 ,12 ता 14 / 0.7590 ,15 / 0.2150 ,16 / 0.2150 ,17 ता 19 / 0.7590 , प0न0 0 मु0न0 104 / 25 किला न0 0 की 0.3040हैक गै0मु0 रास्ता मु0न0 106 / 24 किला न0 0 / 1 की 0.1010गै0मु0 रास्ता कुल 9.6140हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव 409–1 / 2 हिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का बहिव 175–1 / 4 हिस्सा , वादी का 175–1 / 4 हिस्सा , चक 13 केएनएन के प0न0 318 / 381 (40) किला न0 5 ता 20 / 5.0600हैक प0न0 318 / 382(41) किला न0 1 / 0.22880 ,2 / .02280 ,3 / 0.2270 ,9 ता 12 / 1.0120 ,19 ता 20 / 5060 , प0न0 0 मु0न0 85 / 47 किला न0 0 / 2 की 0.07600गै0मु0 रास्ता कुल 7.3370हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव 80 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 बहिव 164 हिस्सा , वादी 164 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ,12 बहिव 20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 13 का 37 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 115 हिस्सा भूमि सयुक्त खाता में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त सयुक्त खाता की भूमि का काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है। बिसाउ के 3 लड़के भागीरथ , शंकर , भादर थे भागीरथ फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है भादर व खिवणी बेवा भादर लावल्द फोत हो चुका है खिवणी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान किया जा चुका है लेकिन उसके हिस्सा की गैरमुमकिन भूमि रहन से राजस्व

Scanned with CamScanner

रिकार्ड चक 1 आरपीएम में 8-1/2 हिस्सा दर्ज है जो लावल्द फौत हो जाने के कारण भागीरथ व शंकर हुए लेकिन आज भी भूमि खिवणी के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये मृतक खिवणी के नाम चक 1 आरपीएम के दर्ज 8-1/2 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है जिससे सीव व लगान का झगडा रहता है इसलिये वादी विवादित भूमि का मुताबिक बाहमी बटवारा अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की अपने बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ,11 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6 ता 10 ,12, 13 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षिय कार्यवाही जाकर वादी के अधिवक्ता को सुना जाकर वादी का वाद काबिज प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादी दिनांक 13.04.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर वाद भूमि का अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक भू.अ./2019/280 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन प्रस्ताव स्वीकार है विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का एतराज नहीं है।

पराकार राज ने भी निवेदन किया की विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का एतराज नहीं है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है कोई भी संयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है हस्तगत प्रकरण में भी वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर से चाहे गये थे तहसीलदार नोहर ने आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री करने हेतु निवेदन भी किया गया है अतः वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण वाद वादी तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है –

1 शंकरलाल पुत्र बिसाऊ 4.2920हैक , मदन इन्द्राज साजन पि0 शंकरलाल बहिब 5.3220हैक ,जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रहन – मदन 1.7246है , साजन 1.7246हैक स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा नोहर इन्द्राज हिस्सा एसबीआई शाखा फेफाना मुर्त0 रोही मौजा चक 1 आरपीएम के प0न0 317/381(56) किला न0 1 ता 3/0.759हैक , 6/0.215 7 ता 14/2.0240हैक , 15/0.215 ,16/0.215 ,17 ता 20/1.012 ,22 ता 24/0.759 25/0.215 , तथा प0न0 317/382(76) किला न0 2/0.228 ,3/ 228 ,4/0.227 ,5/0 190 ,6/0.215 ,7 ता 9/0.759 ,12 ता 14/0.759 ,104/25 की 0.304हैक , 106/24 की 0.101हैक गै0मु0 रास्ता कुल 9.614हैक जिसमें नहरी 9.209हैक रास्ता 0.405हैक भूमि रहेगी।

2. मदन इन्द्राज साजन पि0 शंकरलाल बहिब जाति जाट निवासी रतनपुरा खातेदार रहन – इन्द्राज हिस्सा एसबीआई शाखा फेफना मुर्त0 रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318/381(40) किला न0 21 ता 23/0.759 ,24/1 की 0.063 , कुल 0.822हैक्ट जिसमें बारानी 0.759हैक्ट नहरी 0.063हैक्ट भूमि रहेगी ।

3. चावली पत्नी भागीरथ , देवीलाल पुत्र भागीरथ परमेश्वरी कलावती रोशनी राजबाला सुमित्रा पुत्रीया भागीरथ बहिब जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318/381(40) किला न0 6 ता 20/3.7950हैक , 24/2 की 0.190 ,25/0.253 ,कुल 4.2380हैक जिसमें नहरी 1.9610हैक बारानी 2.2770हैक

4. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रहन – स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा नोहर मुर्त0. रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318/382(41) किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,9 ता 11/0.759 ,12/1 की 0.013 ,20/0.253 ,85/47/1 की 0.050हैक कुल 1.5310हैक नहरी 1.253हैक गै0मु0रास्ता 0.050हैक बारानी 0.28हैक भूमि रहेगी

5. साहबराम पुत्र चन्दुराम 0.4930हैक मदनलाल आत्माराम पि0 साहबराम बहिब 0.253हैक जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318/382(41) किला न0 3/0.227 ,12/2 की 0.240 ,19/0.253 ,85/47/2 की 0.026हैक कुल 0.7460हैक जिसमें नहरी 0.493हैक बारानी 0.227हैक गै0मु0रास्ता 0.026हैक भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

GL

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 रूल 6 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अध्य अदालत — सैयद हसिब अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान —

1 शंकरलाल पुत्र बिसाउ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम

1 मदनलाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर ।
2 इन्द्राज पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3 साजन पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
4 चावली पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
5 देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
6 प्रमेश्वरी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
7 कलावती पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
8 रोषनी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
9 राजबाला पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
10 सुमित्रा पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
11 मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
12 आत्माराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
13 साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
15 एसबीबीजे शाखा फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16 स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा नोहर तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 266 सन 2016 निर्णय दिनांक– 19/07/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगणएव प्रतिवादीगण तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है

1. शंकरलाल पुत्र बिसाउ 4.2920हैव , मदन इन्द्राज साजन पि0 शंकरलाल बहिब 5.3220हैव ,जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रहन – मदन 1.7246है , साजन 1.7246हैव स्टेट बेक ऑफ पटियाला शाखा नोहर इन्द्राज हिस्सा एसबीआई शाखा फेफान मु्त0 रोही मौजा चक 1 आरपीएम के प0न0 317/381(55) किला न0 1 ता 3/0.759हैव , 6/0.215 ,7 ता 14/2.0240हैव , 15/0.215 ,16/0.215 ,17 ता 20/1.012 ,22 ता 24/0.759 , 25/0.215 , तथा प0न0 317/382(76) किला न0 2/0.228 ,3/228 ,4/0.227 ,5/0.190 ,6/0.215 ,7 ता 9/0.759 ,12 ता 14/0.759 ,104/25 की 0.304हैव ,106/24 की 0.101हैव गै0मु0 रास्ता कुल 9.614हैव जिसमें नहरी 9.209हैव रास्ता 0.405हैव भूमि रहेगी।
2. मदन इन्द्राज साजन पि0 शंकरलाल बहिब जाति जाट निवासी रतनपुरा खातेदार रहन – इन्द्राज हिस्सा एसबीआई शाखा फेफना मु्त0 रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318/381(40) किला न0 21 ता 23/0.759 ,24/1 की 0.063 , कुल 0.822हैक्ट जिसमें बारानी 0.759हैक्ट नहरी 0.063हैक्ट भूमि रहेगी ।
3. चावली पत्नी भागीरथ , देवीलाल पुत्र भागीरथ परमेश्वरी कलावती रोशनी राजबाला सुमित्रा पुत्रीया भागीरथ बहिब जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318/381(40) किला न0 6 ता 20/3.7950हैव , 24/2 की 0.190 ,25/0.253 ,कुल 4.2380हैव जिसमें नहरी 1.9610हैव बारानी 2.2770हैव

Scanned with CamScanner

4. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार रहन – स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा नोहर मुर्त0. रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318 / 382(41) किला न0 1 / 0.228 ,2 / 0.228 ,9 ता 11 / 0.759 ,12 / 1 की 0.013 ,20 / 0.253 ,85 / 47 / 1 की 0.050हैक कुल 1.5310हैक नहरी 1.253हैक गै0मु0रास्ता 0.050हैक बारानी 0.28हैक भूमि रहेगी

5. साहबराम पुत्र चन्दुराम 0.4930हैक मदनलाल आत्माराम पि0 साहबराम बहिब 0.253हैक जाति जाट साकिन रतनपुरा खातेदार के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 318 / 382(41) किला न0 3 / 0.227 ,12 / 2 की 0.240 ,19 / 0.253 ,85 / 47 / 2 की 0.026हैक कुल 0.7460हैक जिसमें नहरी 0.493हैक बारानी 0.227हैक गै0मु0रास्ता 0. 026हैक भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100 / – का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner